न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 स्टाम्प निगरानी

पदमसिंह पुत्र मलखान सिंह यादव निवासी
ग्राम उमरी तहसील पोंहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

——— आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेंक्टर ऑफ जिला शिवपुरी
2. मु. वृन्दा वेवा खचेरा
3. बाबू
4. केदारी
5. बनबारी
6. सावित्री

(3–6) पुत्र व पुत्रियां खचेरा जाटव

7. विन्दा

निवासीगण ग्राम ठेवला तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनुबन्धकर्ता

1. श्री कल्याण सिंह पुत्र बालमुकन्द यादव निवासी ग्राम उमरी तह. पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

——— अनुबन्धग्रहिता ——— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 56(4) स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम एवं म.प्र. न्यून मूल्यांकन निवारण नियम 1975 के नियम–9 बिरूद्ध आदेश न्यायालय आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 198/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 के विरूद्ध निगरानी जानकरी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

स्टाम्प एक्ट की धारा 47–ए(5) एवं म.प्र. लिखतमों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम 1975 के नियम–9 के अन्तर्गत यह निगरानी विहित प्रोफार्मा पर पेश है :–

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निगरानी/शिवपुरी/स्टाम्प अधि../2017/3889 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी.धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री प्रखर ढेंगुला उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियार के आदेश दिनांक 5.9.17 के विरूद्ध पेश की है । अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर अमान्य किया है । उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध स्टाम्प एक्ट की धारा 56(4) के तहत राजस्व मंडल में निगरानी पेश करना चाहिए । इसके उपरांत भी आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश न करते हुए आयुक्त के आदेश के विरूद्ध ही निगरानी पेश की है जो उचित नहीं है क्योंकि आयुक्त का आदेश अपने स्थान पर उचित है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध विधिवत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	